

प्रेषक,

मो० वासिफ,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत भानपुर,  
जनपद-बस्ती।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2024

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या -37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायत, भानपुर हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती को अनुदान संख्या-37 पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत धनराशि रू० 199.36 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पंचायत, भानपुर, जनपद-बस्ती द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि रू० 199.36 लाख (रूपये एक करोड़ निन्यानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं 50 प्रतिशत के रूप में प्रथम किश्त की धनराशि रू० 99.68 लाख (रूपये निन्यानबे लाख अड़सठ हजार मात्र) अनुदान संख्या-37, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

## नगर पंचायत

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत भानपुर, जनपद-बस्ती	1. नगर पंचायत भानपुर में रामजी के घर से सुभाष के घर तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। 2. नगर पंचायत भानपुर शिवपुजन के घर से विकास सिंह के घर तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। 3. नगर पंचायत भानपुर काली मंदिर के बगल राम जी के घर से श्याम बिहारी के घर तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। 4. नगर पंचायत भानपुर फेरसम में टप्पू चौधरी के मकान से मो० इरफान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	8.63 9.93 9.99 9.66		

5.	नगर पंचायत भानपुर फेरसम में मो० इरफान के प्लाट से डाक बंगला तक सी०सी० का निर्माण कार्य।	9.87		
6.	नगर पंचायत सोनहा राकेश चौधरी के मकान से पप्पू पाण्डेय के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.75		
7.	नगर पंचायत भानपुर सोनहा में सुभाष चौधरी के प्लाट से छोटे लाल के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.32		
8.	नगर पंचायत भानपुर सोनहा में विजय जायसवाल के मकान से हरीश चौधरी के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.35		
9.	नगर पंचायत भानपुर सोनहा में हरीश चौधरी के प्लाट से रामजनम के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.32		
10.	नगर पंचायत भानपुर सोनहा में गुड्डू प्रधान के मकान से मस्जिद तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.66		
11.	नगर पंचायत भानपुर सोनहा में मदरसा के सामने से मस्जिद तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	6.02		
12.	नगर पंचायत भानपुर आमा में प्राथमिक विद्यालय से श्याम लाल के मकान से पहले तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.55		
13.	नगर पंचायत भानपुर मिश्रौलिया में अकरमअली के मकान से रमजान के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.98		
14.	नगर पंचायत भानपुर उकडा में हरिप्रसाद के मकान से लाल के मकान होते हुए नहर के पहले तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.94		
15.	नगर पंचायत भानपुर उकडा में रामचंद्र के मकान से मंगल के मकान सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	6.62		
16.	नगर पंचायत भानपुर उकडा में मंगल के घोटा से चक मार्ग 463 तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	6.65		
17.	नगर पंचायत भानपुर सोनहा में बाग से पिच रोड तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.87		
18.	नगर पंचायत भानपुर सोनहा में पंचराम के मकान से दीपक पांडेय के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.86		
19.	नगर पंचायत भानपुर आमा में सोनू के मकान से पिच रोड तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	8.10		
20.	नगर पंचायत भानपुर आमा में सोनू के मकान के आगे से राम रतन के मकान तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	7.39		
21.	नगर पंचायत भानपुर करमहिया में विष्णु के प्लाट से सोनहा पकरी मोती पिच रोड तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.99		
22.	नगर पंचायत भानपुर करमहिया में हरीशचन्द्र के मकान से एच० आर० स्कूल तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	9.91		
<b>योग</b>		<b>199.36</b>	<b>199.36</b>	<b>99.68</b>

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर

आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पीओएलएओ व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।
- (17) 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-

02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- (18) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (19) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय जाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (20) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- (21) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (22) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (23) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (24) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 99,68,000 (रुपये निन्यानवे लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021930500 पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-443-X-2023-24, दिनांक- 01 फरवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

महोदय,  
[Signature]  
(मो० वासिफ) 01-02-24  
अनु सचिव।

संख्या- 129 /2024/उ०-नौ-१-24/002-E-1730745, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, बस्ती।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी०एम०यू० यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

अज्ञा से,  
[Signature]  
(मो० वासिफ) 01.02.24  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-01/02/2024


प्रेषण संख्या:- 129  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-129-2024-38-9-9-24-002-E-1730745  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता  
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बस्ती-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9968000 20468000	9968000 20468000
	योग	वर्तमान प्रगामी	9968000 20468000	9968000 20468000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया निन्यानवे लाख अड़सठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ चार लाख अड़सठ हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव